



2026:AHC:48909

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या -8852 वर्ष 2026

कमरे आलम

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: कृष्ण कुमार मिश्र, मो. जैद

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: अरुण कुमार पाण्डेय, सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद जैद, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और प्रतिवादी संख्या 5/गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. पांडे को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 4-तहसीलदार (न्यायिक), मंडल मुरादाबाद, तहसील अमरोहा, जिला अमरोहा द्वारा वाद संख्या आरएसटी/9652/2021 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी 202113380109652) में दिनांक 28.08.2025 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाए; तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 3-अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मंडल मुरादाबाद, तहसील एवं जिला अमरोहा द्वारा वाद संख्या 1658/2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी 202513380001568) में दिनांक 29.01.2026 को पारित आदेश को भी रद्द किया जाए।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता यूपी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-ए के तहत संरक्षण का हकदार है। संबंधित अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त आदेश पारित करते समय मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 4-तहसीलदार (न्यायिक), प्रभाग, मुरादाबाद, तहसील अमरोहा, जिला अमरोहा द्वारा पारित आदेश पूर्णतः एक 'अकारण आदेश' (non-speaking order) है और इसे U.P. राजस्व संहिता, 2016 के नियम 67 का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

4. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी उठाया गया है कि उपर्युक्त आदेश, 'ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' (2023 (1) ADJ 154) मामले में पारित आदेश के पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे; अतः ये आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।

5. इस तथ्य को प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।

6. इसी के मद्देनजर, चूंकि दिनांक 28.08.2025 और 29.01.2026 के आदेश ऋषिपाल (सुप्रा) के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, अतः वे रद्द किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं।

8. प्रतिवादी संख्या 4 - तहसीलदार (न्यायिक), मंडल मुरादाबाद, तहसील अमरोहा, जिला अमरोहा को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः आज से चार माह की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करें।

9. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक कार्रवाई हेतु इस आदेश की सूचना प्रतिवादी संख्या 2-जिला मजिस्ट्रेट, जिला अमरोहा को प्रेषित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

10 मार्च, 2026

टी.एस.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।